**न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर शिविर, भोपाल**

प्र0कं0 : निगरानी...../15 सीहोर

निगरानी 1711-PBR-15

(1) **अशोक** पुत्र श्री घासीराम झंवर
(2) **प्रेमसिंह** पुत्र श्री नन्नूलाल बागवान
(3) **मेहरबान सिंह** पुत्र श्री दरयाब सिंह सुतार
निवासीगण–ग्राम सिद्धीकगंज,
तह0–जावर, जिला–सीहोर (म0प्र0)–**निगरानीकर्तागण**

श्री मेहरबान सिंह अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 24-6-15 को भोपाल बेन्च पर प्रस्तुत।

**विरूद्ध**

**बाबूगिर** पुत्र श्री पूरनगिर
निवासी–ग्राम सिद्धीकगंज,
तह0–जावर, जिला–सीहोर (म0प्र0)---- **प्रत्यर्थी**

**निगरानी अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता-1959**

**महोदय,**

विद्वान राजस्व निरीक्षक महोदय, मंडल–3, घाचरोद, तहसील आष्टा द्वारा प्र0कं0–1/अ–12/14–15 में पारित आदेश दिनाँक 20.10.14 जिसके द्वारा उन्होंने विधि विरुद्ध [redacted] सीमांकन कार्यवाही आदेश की कागजी खानापूर्ति करते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया है, से दुःखित एवं असंतुष्ट होकर जानकारी दिनांक 30.04.15 से मय धारा–5 समयावधि विधान के यह निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है।

**प्रकरण का संक्षिप्त विवरण**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने राजस्व निरीक्षक मंडल–3 खाचरोद को अपनी कृषि भूमि खसरा कं0–1/86 (1/84) रकबा 1.011 हे0 स्थित ग्राम नौगांव प0ह0नं0–80 के सीमांकन हेतु आवेदन दिनांक 10.04.14 को प्रस्तुत किया, जिस पर से स्वयं राजस्व निरीक्षक मंडल–3 द्वारा प्र0क0–1/अ–12/14–15 दर्ज किया गया, जिसमें राजस्व

**निरंतर...2....**

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 1711 -पीबीआर/15 जिला सीहोर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 9–3–2016 | मैंने आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया.<br>आवेदकपक्ष का तर्क है कि अनावेदक द्वारा कराए गए सीमांकन की कथित मौका कार्यवाही दि १७-१०-१४ तथा पुष्टि का आदेश दि २०-१०-१४ उन्हें बिना सूचना या पक्ष समर्थन का अवसर दिए पारित किया गया है और उनके द्वारा अवैध कब्ज़ा किया जाना बता दिया गया है. उन्हें उक्त सीमांकन की जानकारी तब मिली जब उनके विरुद्ध धारा २५० में बेदखली की कार्यवाही की जानकारी उन्हें दि ३०-४-१५ को मिली, जिसके आधार पर ही उन्होंने विलम्ब माफ़ी हेतु आवेदन लगाया है.<br>नस्ती का परिशीलन करने से मैं यह पाता हूँ कि तर्कों में कहे गए बिंदु ही आवेदक ने निगरानी मेमो में लिखे हैं. साथ में यह भी लिखा है कि सीमांकन के पूर्व कोई सूचना पत्र जारी नहीं हुआ. आक्षेपित आदेश दि २०-१०-१४ में पंचनामा, प्रतिवेदन, फील्डबुक, नक्शा का लेख है, किन्तु सूचना पत्र का लेख नहीं है. पंचनामे में लिखा है की उपस्थित व्यक्ति हस्ताक्षर करते समय चले गए, किन्तु उन व्यक्तियों के नामों का खुलासा नहीं किया है. प्रतिवेदन में लिखा है कि कब्जाधारी सीमांकन के समय उपस्थित थे परन्तु हस्ताक्षर के समय चले गए. कहीं भी आवेदकगण के सीमांकन की कार्यवाही में हस्ताक्षर नहीं हैं. आदेश दि २०-१०-१४ के पूर्व, अवैध कब्ज़ा पाए जाने के बाद, ऐसे अवैध कब्ज़ा करने वाले व्यक्तियों (आवेदकगण) को कोई अन्य सूचना या पक्ष समर्थन का अवसर भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार नहीं दिया गया.<br>उपरोक्त के प्रकाश में मेरा प्रथमदृष्टया यह समाधान हो गया है कि सीमांकन के पूर्व सूचना पत्र जारी किये जाने और हितबद्ध पक्षकारों को सूचित कर पक्ष समर्थन का अवसर दिए जाने की कार्यवाही विधिवत नहीं की गयी, जिसकी वजह से वाद आगे बढा है. यदि आवेदकगण का अनावेदक की भूमि पर बेजा कब्ज़ा है और उन्हें | |

सीमांकन के पूर्व सूचना दी गई थी तो ऐसे सूचना पत्र को आदेश का प्रदर्श बतौर भाग बनाया जाना चाहिए था, जिसका इस प्रकरण में अभाव है. ऐसे में यही माना जाना होगा कि आवेदकगण को सीमांकन के पूर्व सूचना नहीं दी गई. यह भी स्पष्ट है कि मौका कार्यवाही में आवेदकगण का बेजा कब्ज़ा अभिलिखित किये जाने के बाद, पुष्टि के पूर्व उन्हें कोई अन्य नोटिस न्यायहित में और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन में नेहं दिया गया.

उपरोक्त तथ्यों और विवेचना के प्रकाश में मैं आक्षेपित सीमांकन आदेश दि २०-१०-१४ स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ.

अतः, मैं प्रकरण में विलम्ब को सद्भावी मानते हुए माफ़ करता हूँ, तथा आक्षेपित सीमांकन आदेश दि २०-१०-१४ को एतदद्वारा निरस्त करता हूँ.

साथ ही तहसीलदार, आष्टा को यह निर्देश देता हूँ कि वे अनावेदक के सीमांकन आवेदन से सम्बंधित प्र क्र १/अ१२/१४-१५ अब अपने समक्ष खोलें, और उसमे उभयपक्ष एवं समस्त सरहद्दी क्त्रिशकों और हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत सूचना एवं पक्ष समर्थन का अवसर देते हुए और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए, नए सिरे से मौके की तथा न्यायालय की कार्यवाही करें/ कराएं तथा स्व-स्पष्ट और बोलते स्वरुप का आदेश पारित करें.

तहसीलदार, उपरोक्तानुसार, अपना आदेश, उन्हें रा मं के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम २ माह के भीतर, अनिवार्यतः पारित करें.

इन्ही निर्देशों के साथ यह प्रकरण रा मं से समाप्त किया जाता है.

आदेश पारित.

पक्षकार एवं तहसीलदार, आष्टा सूचित हों.

प्रकरण समाप्त.

दा द हो

(आशीष श्रीवास्तव)

सदस्य